न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री मुनिदेव यादव (आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :– 173/2002 (223 आर0 टी0 एक्ट)
आरसीएमएस संख्या :– 2002/00006

उनवान

1. रामकिशन पुत्र दिलसुख (मृतक)
   1/1. गोविन्द सिंह
   1/2. राजेश
   1/3. घमण्डी सिंह
   1/4. मोहन सिंह
   1/5. राजकुमार (गुमशुदा)
   } पिस0 रामकिशन जाति जाटव नि0 हाथौडी तह0 वैर जिला भरतपुर।
   1/6. हरप्यारी पत्नी रामकिशन
2. बुद्धी राम
3. पूरनचन्द
4. रमेशचन्द
   } पुत्रान दिलसुख जाति जाटव निवासी हाथौडी तह0 वैर जिला भरतपुर।

.....अपीलाण्ट

बनाम

1. शिवलाल दत्तक पुत्र परभाती जाति जाटव निवासी हाथौडी तहसील वैर जिला भरतपुर (मृतक)
   1/1. रूप सिंह
   1/2. नाहर सिंह
   1/3. मान सिंह
   1/4. अतर सिंह
   1/5. पप्पू
   } पिस0 शिवलाल
   1/6. उगन्ती वेवा शिवलाल
   } जाति जाटव नि0 हाथौडी तह0 वैर जिला भरतपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार वैर जिला भरतपुर।
3. रेशम पत्नी करन सिंह पुत्री दिलसुख उम्र 48 साल जाति जाटव निवासी हाथौडी तहसील वैर जिला भरतपुर हाल निवासी बरौलीरान तहसील नदबई जिला भरतपुर।
4. फूलवती पत्नी भीम सिंह पुत्री श्री दिलसुख राम जाति जाटव निवासी हाथौडी तहसील वैर जिला भरतपुर हाल आबाद बरौलीरान तहसील नदबई जिला भरतपुर।

.....असल रेस्पोडेण्ट

5. गुलकन्दी वेवा मंगल (मृतक)
6. बाबूलाल पुत्र मंगल
7. जंगल (मृतक)
   7/1. वासदेव पुत्र जंगल
8. छुट्टी पुत्र हरभजन (मृतक)
   8/1. विजय सिंह (मृतक)
   8/1/1. अभिषेक सिंह
   8/1/2. कार्तिक सिंह
   8/2. सुघड सिंह पुत्र छुट्टी
   8/3. सोमोती वेवा छुट्टी (मृतक)
   } जाति जाटव नि0 हाथौडी तह0 वैर जिला भरतपुर।

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

9. मिश्री वेवा रघुवीर (मृतक)
10. सोना पुत्र रघुवीर (मृतक)
    10/1. सामन्ती पत्नी स्व0 सोना उम्र 50 वर्ष जाति जाटव नि0 हाथौडी तह0 वैर जिला भरतपुर।

11. रूप सिंह
12. नाहर सिंह
13. मान सिंह
14. अतर सिंह
15. पप्पू

} पिस0 शिवलाल जाति जाटव निवासी हाथौडी तहसील वैर जिला भरतपुर।

.....तरतीवी रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध निर्णय न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी वैर दिनांक 01.08.2002 प्र0स0 15/02 उनवान रामकिशन बनाम शिवलाल।

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलाण्ट श्री महाराज सिंह डागुर उपस्थित।
2. वकील रैस्पो0 श्री पंकज कुमार उपस्थित।

निर्णय दिनांक :– 08.08.2024

1. यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, वैर के निर्णय दिनांक 01.08.2002 के विरूद्ध पेश की गई है। अपील के सक्षेंप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी/अपीलाण्ट द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 व 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध प्रतिवादी/रैस्पो0 इस आशय का पेश किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी पर वादी अपीलाण्ट मुताबिक राजस्व रिकार्ड खातेदार काश्तकार हैं। प्रतिवादी रैस्पो0 का विवादित आराजी से कोई संबंध सरोकार किसी प्रकार का नहीं है। दिलसुख के खास भाई परभाती की कोई संतान नहीं थी। परभाती निसंतान ही मर गया। परभाती ने अपने जीवनकाल में अपनी सेवा चाकरी एवं बुढापे में खानपान तथा हारी बीमारी का इलाज कराने के लिये अपने पास बतौर पुत्र की हैसीयत से शिवलाल को रख लिया था अर्थात समाज के पंचो के सामने गोद रख लिया था। शिवलाल बहुत ही चतुर चालाक व्यक्ति था उसने गोद के आधार पर परभाती के हिस्से की आराजी को अपने नाम नहीं कराकर परभाती के जीवनकाल में ही शिवलाल ने अपने बच्चे के नाम वसीयत करा ली एवं उक्त वसीयत के आधार पर शिवलाल के बच्चो के नाम परभाती की आराजी का दाखिला हो गया। इसलिये प्रतिवादी शिवलाल अब दिलसुख की आराजीयात में कोई हक व हकूक नहीं रखता है। परन्तु प्रतिवादी रैस्पो0 के मन में बदयान्ती आ गयी हैं एवं वह दिलसुख की आराजी में भी हिस्सा मॉग रहे हैं एवं जबरन अपने हिस्से की आराजी पर कब्जा करने की धमकी दे रहे हैं। अतः वाद प्रस्तुत कर दावा की मद संख्या 03 के अनुसार दावा डिक्री किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया एवं प्रतिवादी रैस्पो0 ने न्यायालय हाजा में उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत करते हुये दावा वादी अपीलाण्ट दावा की मद संख्या 03 अनुसार डिक्री किये जाने में सहमति व्यक्त की, अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त दावा, बाद सुनवाई

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

अपीलाधीन आदेश दिनांक 01.08.2002 से खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर वादी अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रैस्पो0 एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलव किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में अपील मीमो में अंकित कथनो को दोहाराते हुये, कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के विपरीत होने के कारण काबिल निरस्तनीय है। यह है कि प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय में असल प्रतिवादी शिवलाल रहा है। शिवलाल ने अपीलाण्ट के हक में दिनांक 27.03.2002 को वादी अपीलाण्ट के पक्ष में राजीनामा प्रस्तुत कर दिया। शिवलाल परभाती का दत्तक पुत्र है एवं शिवलाल ने परभाती की आराजी पर खातेदारी प्राप्त कर ली है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस दावा में स्टाम्प डयूटी की चोरी होना माना जाकर दावा वादी अपीलाण्ट खारिज किया है, जो विधि विरूद्ध है। विवादित आराजी बाबत् पारिवारिक विवाद है एवं पारिवारिक विवाद में किसी के पक्ष में अधिक या कम भूमि आ जाये एवं पक्षकार उसे राजीनामा से सही कराना चाहें तो उसमें स्टाम्प डयूटी की चोरी नहीं मानी जा सकती है। जब राजीनामा अधीनस्थ न्यायालय ने तस्दीक कर दिया तो उन्हें राजीनामा के आधार पर ही डिक्री पारित करनी चाहिये थी। बहनो का प्रार्थना पत्र आदेश 01 नियम 10 में पक्षकार जुडना स्वीकार हैं परन्तु बहने अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं थी अतः अपील में विवादित आराजी में अधिकार बताना उचित नहीं है। यदि बहन अपना हक रखती है तो पृथक से दावा कर सकती हैं। अंत में अपील अपीलाण्ट स्वीकार करते हुये राजीनामा के आधार पर दावा वादी अपीलांट डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

4. रैस्पो0 के विद्वान अभिभाषक ने जवाबी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि हम अधीनस्थ न्यायालय में राजीनामा दे चुके हैं। अतः उससे बाध्य हैं। कानूनी बिन्दू है, जो न्यायालय श्रीमान् को ही तय करना है। यदि अपील स्वीकार की जाती है, तो रैस्पो0 को कोई आपत्ति नहीं है।

5. हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। हम पाते हैं कि रैस्पो0 शिवलाल अपने पिता के जीवनकाल में ही परभाती के लिये गोद चला गया एवं परभाती की मृत्यु उपरान्त परभाती की आराजी को जरिये वसीयत अपने वारिसान के नाम करा दिया। तत्पश्चात् परभाती ने अपने पिता दिलसुख की आराजी में भी हिस्सा ले लिया। जिस पर वादी अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में दावा प्रस्तुत किया। जिसमें शिवलाल द्वारा राजीनामा प्रस्तुत किया जाकर वादी अपीलाण्ट का दावा स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने वादी अपीलाण्ट का दावा यह अंकित करते हुये खारिज किया है कि स्वामित्व परिवर्तन करने में राज्य सरकार को स्टाम्प ड्यूटी की हानि होगी। हमने मनन किया। विवादित आराजी पैत्रिक आराजी है एवं पैत्रिक आराजी में किसी एक पक्ष में अधिक या कम भूमि हो जाये एवं पक्षकार उसे राजीनामा से सही कराना चाहें तो उसमें स्टाम्प डयूटी की चोरी नहीं मानी जा सकती है। हस्तगत प्रकरण में भी पारिवारिक विवाद है एवं उभयपक्ष उक्त विवाद को राजीनामा से निस्तारित कराना चाहते हैं। इसके अलावा हम यह भी पाते हैं कि अधीनस्थ न्यायालय ने राजीनामा को सही होना माना जाकर तस्दीक किया है, तो अधीनस्थ न्यायालय को राजीनामा के आधार पर ही वादी अपीलाण्ट का वाद डिक्री किया जाना चाहिये था। यदि राजीनामा विधि अनुरूप नहीं था तो उसे तस्दीक नहीं किया जाना चाहिये था। जहॉ तक विवादित आराजी में बहनो के स्वत्व का प्रश्न है। चूंकि बहने अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

मुकदमा नहीं थी। अतः अपील में विवादित आराजी में अपने अधिकार बताना उचित नहीं है, वह विवादित आराजी में अपने अधिकारो के लिये पृथक से दावा करने को स्वतंत्र हैं। उपरोक्त विवेचनानुसार हम अपील अपीलाण्ट स्वीकार योग्य पाते हैं।

6. अतः आदेश है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर, मुताबिक राजीनामा दावा की मद संख्या 03 अनुसार डिक्री किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, वैर के अपीलाधीन आदेश दिनांक 01.08.2002 अपास्त किये जाते हैं। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें।

7. निर्णय आज दिनांक 08.08.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास में सुनाया गया।

(मुनिदेव यादव)
भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर